न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 12/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री करनेलसिंह उर्फ काला पुत्र श्री मलकारसिंह जाति जाट निवासी तमसाबाद थाना पानीपत जिला पानीपत हरियाणा।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 17.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.03.2021 को विजय पताका मन्दिर से पहले हाईवे रोड पर एक मिनी टैंकर नं. आरजे 24 जीए 4119 में लगभग 1500 लीटर अवैध डीजल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 01.03.2021 को विजय पताका मन्दिर से पहले हाईवे रोड पर श्री करनेलसिंह उर्फ काला पुत्र श्री मलकारसिंह जाति जाट निवासी तमसाबाद थाना पानीपत जिला पानीपत हरियाणा द्वारा डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक मिनी टैंकर वाहन संख्या आरजे 24 जीए 4119 में लगभग 1500 लीटर अवैध डीजल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 1500 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल से [illegible] बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास [illegible] अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल का अवैध भण्डारण करना [illegible] अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से [illegible] एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी की ओर बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी बहस हेतु नियम तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 01.03.2021 को विजय पताका मन्दिर से पहले हाईवे रोड पर श्री करनेलसिंह उर्फ काला पुत्र श्री मलकारसिंह जाति जाट निवासी तमसाबाद थाना पानीपत जिला पानीपत हरियाणा द्वारा डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक मिनी टैंकर वाहन संख्या आरजे 24 जीए 4119 में लगभग 1500 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 1500 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को पालडी की तरफ हाईवे होटलों पर खडे टेंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर तथा आगे ग्राहकों को बेचने के लिए उड की ओर ले जाना बताया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 1500 लीटर डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 1500 लीटर डीजल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner